रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1056] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 17, 2017/चैत्र 27, 1939
No. 1056] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 17, 2017/CHAITRA 27, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2017

का.आ. 1191 (अ).— प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2871 (अ) तारीख 19 अक्तूबर, 2015, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में राजस्थान में सीमामाता वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन को घोषित करते हुए एक प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुक्षाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र, जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, की प्रतियां जनता को 19 अक्तूबर, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रुप से विचार किया गया है;

और, सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य जो अरावली पर्वतीय श्रेणी, विन्ध्या पर्वतीय श्रेणी और मालवा पठार के मिलन स्थान पर और राजस्थान राज्य के जिला चित्तौड़गढ और प्रतापगढ़ के दक्षिणी – पूर्वी क्षेत्र पर अवस्थित है और 74^0 23’ पू– $74^0$40’ पू देशांतर और 24^0 04’ उ से $24^0$23’ उ अक्षांश के बीच है और 422.94 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर फैला हुआ है जिसे राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ 11(9) राजस्व/समूह-8/78, जयपुर, तारीख 2 जनवरी, 1979 द्वारा वर्ष 1979 में अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था;

और, सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य की उत्तर-पश्चिम सीमा सागौन बांस मिश्रित वन के लिए और इसके साथ जुडे प्रजातियों, वनस्पतियों और जीव के सबसे प्रचुर अभयारण्य में से एक है । यहां करीब सरीसृप के लगभग 50 प्रजातियां, उभयचर के 9 प्रजातियां, पक्षियों की 275 प्रजातियां और मछलियों की 30 प्रजातियां अभयारण्य की सूची में सूचीबद्ध है। सीतामाता अभयारण्य में पौधों की 800 प्रजातियां है जिसमें से 108 औषधीय पौधों की प्रजातियां पहले से ही पहचानी जा चुकी है, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा जारी संकटापन्न औषधीय पौधों की 13 प्रजातियां है;

और, जहां इस संरक्षित क्षेत्र की सतह अपेक्षाकृत कम लहरदार है और तीन बारहमासी नदियां (जाखम, सीतामाता और करमोई) उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वृक्ष प्रजापतियों को वास प्रदान करती है जो कि अरावली रेड स्पूर मुर्गी, ग्रे जंगल मुर्गी, सूरजभगत और तमाम अन्य जीव-जन्तु एवं वनस्पति प्रजाति के लिए सूक्ष्म वास बनाती है और यह तमाम प्रजातियों के लिए, जिनमें पश्चिमी घाट के तत्वों के अलावा हिमालय, इंडो-मलायन और अफ्रीकी क्षेत्रों से तमाम बाहर जाने वाली प्रजातियों के लिए विविरणात्मक सीमा बनाती है जो कि अद्वितीय है;

और पर्यावरण दृष्टिकोण से सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य और उसके आस पास के क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदी जोन घोषित करते हुए जिसमें वनस्पति और जीव के संरक्षण के लिए नुकसान पहुंचाने वाले कतिपय क्रियाकलापों को नियंत्रित करना आवश्यक है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य में सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 0.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के विस्तार के क्षेत्र को सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 172.45 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र तक फैला हुआ है और इस जोन का सीमा का वर्णन **उपाबंध I** में दिया गया है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य के साथ जीपीएस निर्देशांक के मुख्य बिन्दुओं **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन में राजस्थान जिले चित्तौडगढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर के अंतर्गत आने वाले 58 ग्रामों में फैला हुआ है।

(5) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से और राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस रीति में, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि ;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और इस योजना के मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का विवरण किया जाएगा ।

(7) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा। मानचित्र के साथ आंचलिक महायोजना में स्पष्ट रूप से क्षेत्रों को निर्धारित किया गया है:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के रूप में लागू होंगे, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित ग्रह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप पैरा 4 के अधीन :

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों के अंतर्गत राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा । परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत --** आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्‌भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में जाना जायेगा ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रिय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत -**पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** – पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसरण में पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में, राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियम के प्रावधानों के अनुसार वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम लागू होंगे ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जब प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1974 (1974 का 6)उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा--

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(14) **औद्योगिक इकाईयां -** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के बाद या प्रकाशन में, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के वर्गीकरण के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति दी जाएगी।

(15) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के अंतर्गत:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और इसके अध्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टिप्पणियाँ**
1	2	3
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत

		सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगो का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
4.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग प्रसंस्करण उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
7.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार बना रहेगा :
8.	मत्स्य ग्रहण।	जखम और नागलिया बांध और सीतामाता और जखम नदियों सहित सभी जल निकायों में मत्स्य ग्रहण पूर्णतया वर्जित होगा।
9.	फर्मों, कंपनियों आदि द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
10.	तेंदु पत्ता की खरीद।	अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर के भीतर ठेकेदारों द्वारा तेंदु पत्ता की खरीद पर प्रतिषिद्ध होंगे और वन विभाग द्वारा तेंदु पत्ता इकाईयों की नीलामी के समय कोई क्रय स्थान (फैड) निर्धारित नहीं की जाएगी।
11.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	विनियमित क्रियाकलाप	
12.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी व्यवसाय के लिए आवास के संबंध में संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकट हो, के भीतर ही नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों को अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं : परन्तु आरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर से परे या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट तक हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू भागदर्शन सिद्धांत के अनुरुप होगा।
13.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकटतम हो किसी नए वाणिज्यक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। (ख) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबधित संनिमार्ण

		क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लाग नियमों और विनियमों यदि कोई हों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुज्ञा से ऐसे प्रदूषण को कम किया जाएगा।
14.	भू-जल का निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन स्थानीय लोगों के पीने का पानी या कृषि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विनियमित होंगे।
15.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्ही वृक्षों की कटाई नहीं होगी; (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे।
16.	विद्युत और दूरसंचार टावरों और बिछाई गई केबलों और अन्य बुनियादी ढाँचों का परिनिर्माण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबलों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा)।
17.	अवसंरचना जिसके अंतर्गत भी है।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
20.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
21.	प्लास्टिक थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
22.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे और उपचारित बहिर्स्राव के उपयोग पुनर्चक्रण करने का प्रयास किया जाएगा।
24.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
26.	वन उत्पादों और गैर-काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	वायु और यानिक प्रदूषण।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में, राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियम के प्रावधानों के अनुसार वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम लागू होंगे। लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	ध्वनि प्रदूषण।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसरण में पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा।
29.	खुले कुआं, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग।	विनियमित और संबद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।
30.	ठोस अपशिष्ट प्रबंध।	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

31.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
32.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	संवर्धित क्रियाकिलाप	
33.	डेयरी, डेयरी उद्योग और मत्स्य उद्योग के साथ स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी गतिविधियां।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	निम्नीकृत भूमि वन या आवास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. **पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति-** (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्

(i) जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़ – अध्यक्ष;

(ii) लोक निर्माण विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी - सदस्य;

(iii) नगर योजना विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी - सदस्य;

(iv) उद्योग विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी - सदस्य;

(v) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – सदस्य;

(vi) पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ;

(vii) गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जिसे राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा – सदस्य;

(viii) राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य - सदस्य;

(ix) माननीय वन्यजीव वार्डन - सदस्य;

(x) उप वन संरक्षक, सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य – सदस्य-सचिव।

6. निर्देश निबंधन :

(1) समिति का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ)

तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलक्टर या संबंधित उद्यान के उप-वन संरक्षक, कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध V** पर उपाबद्ध प्रारूप पर उक्त वर्ष कि 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/52/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का वर्णन

पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र 0.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के रूप में अलग अलग क्षेत्र का निम्नलिखित अनुसार समावेश होगा:

उत्तर:- अभयारण्य के क्षेत्र और गांव तजेला से बोरूनदी की दूरी 1 किलोमीटर है। धनावेजी रोड रतीचांदीजी का खेडा से अभयारण्य सीमा के बीच का क्षेत्र ।

पूर्व:- धनादेजी से संगरीखेरा, नरेला फाला, भूरा-जखाम नदी–सतीपिपली- रघुनाथपुरा – जखाम बांध का खेडा उप विलय क्षेत्र-सुरपुर, नलवा, राजमगरी, देपुर, गोलिया फाला, ग्यासपुर।

दक्षिण:- वन ब्लांक भेदा गांव ग्यासपुर, वन ब्लांक चिकलाद (3 किलोमीटर क्षेत्र में प्रतापगढ़ क्षेत्रिय का विभाजन), भागा गांव, गमेती फाला, भुमिनिया से करमाल, श्रीगुड़ा, साथुपर चित्तौरिया) (लंबी नहर की ओर)।

पश्चिम:- दबेला गांव से 3 किलोमीटर पश्चिम गांव की ओर बंसी सड़क पर धरियवाद गांव तक । (प्रतापगढ क्षेत्रीय विभाजन के वन क्षेत्र) और तनेजा गांव अभयारण्य सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी पर है।

उपाबंध II

सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन के संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र

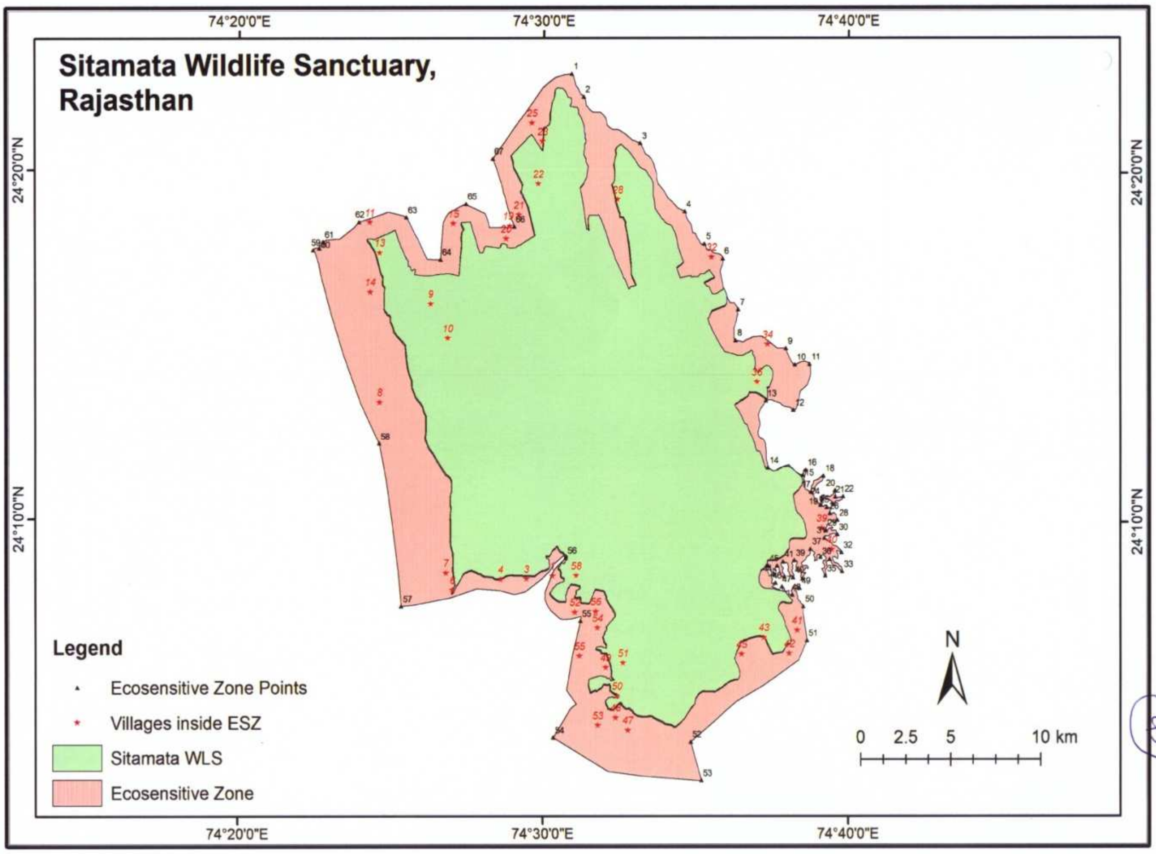

उपाबंध-III

सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के साथ जी.पी.एस निर्देशांकों के बिंदु

बिंदु सं	अक्षांश (डिग्री, मिनट, सैकेंड)	देशांतर (डिग्री, मिनट, सैकेंड)
1	24^{0}22’49.01”	74^{0}30’54.19”
2	24^{0}22’9.73”	74^{0}31’17.68”
3	24^{0}20’50.18”	74^{0}33’8.91”
4	24^{0}18’52.71”	74^{0}34’36.64”
5	24^{0}17’57.72”	74^{0}35’15.28”
6	24^{0}17’32.53”	74^{0}35’51.22”
7	24^{0}16’5.11”	74^{0}36’22.16”
8	24^{0}15’12.23”	74^{0}36’16.94”
9	24^{0}14’58.61”	74^{0}37’56.55”
10	24^{0}14’30.75”	74^{0}38’14.06”
11	24^{0}14’31.46”	74^{0}38’42.70”
12	24^{0}13’12.73”	74^{0}38’10.89”

13	24^{0}13’28.76”	74^{0}37’16.84”
14	24^{0}11’32.87”	74^{0}37’21.21”
15	24^{0}11’20.28”	74^{0}38’29.97’’
16	24^{0}11’29.23”	74^{0}38’35.58”
17	24^{0}10’51.89”	74^{0}38’46.06
18	24^{0}11’19.26”	74^{0}39’10.25”
19	24^{0}10’29.43”	74^{0}39’4.11”
20	24^{0}10’54.35”	74^{0}39’33.25”
21	24^{0}10’43.54”	74^{0}39’33.60”
22	24^{0}10’44.40”	74^{0}39’49.09”
23	24^{0}10’30.96”	74^{0}39’29.08”
24	24^{0}10’40.07”	74^{0}39’7.74”
25	24^{0}10’25.70”	74^{0}39’16.87”
26	24^{0}10’14.97”	74^{0}39’22.98”
28	24^{0}10’3.37”	74^{0}39’37.99”
29	24^{0}9’45.93”	74^{0}39’15.31”
30	24^{0}9’38.87”	74^{0}39’37.74”
31	24^{0}9’32.83”	74^{0}39’12.21”
32	24^{0}9’7.99”	74^{0}39’46.08”
33	24^{0}8’35.33”	74^{0}39’47.57”
34	24^{0}8’56.48”	74^{0}39’22.42”
35	24^{0}8’27.86”	74^{0}39’14.11”
36	24^{0}8’59.91”	7439’4.49”
37	24^{0}9’13.67”	74^{0}38’45.11”
38	24^{0}8’23.29”	74^{0}38’29.50”
39	24^{0}8’54.27”	74^{0}38’13.09”
40	24^{0}8’24.89”	74^{0}38’10.93”
41	24^{0}8’52.04”	74^{0}37’51.01”
42	24^{0}8’25.79”	74^{0}37’54.29”
43	24^{0}8’44.79”	74^{0}37’39.95”
44	24^{0}8’29.97”	74^{0}37’34.17”
45	24^{0}8’44.92”	74^{0}37’21.77”
46	24^{0}8’15.35”	74^{0}37’36.77”
47	24^{0}8’9.33”	74^{0}37’49.15”
48	24^{0}7’55.46”	74^{0}38’9.61”
49	24^{0}8’6.83”	74^{0}38’23.66”
50	24^{0}7’35.24”	74^{0}38’31.30”
51	24^{0}6’36.87”	74^{0}38’38.44”
52	24^{0}3’42.99”	74^{0}34’50.32

53	24^{0}2’36.78”	74^{0}35’11.26”
54	24^{0}3’49.23”	74^{0}30’20.30”
55	24^{0}7’9.13”	74^{0}31’13.05”
56	24^{0}8’56.89”	74^{0}30’43.96”
57	24^{0}7’33.05”	74^{0}25’20.89”
58	24^{0}12’12.50”	74^{0}24’36.34”
59	24^{0}17’44.69”	74^{0}22’25.84”
60	24^{0}17’47.91”	74^{0}22’37.88”
61	24^{0}17’58.63”	74^{0}22’45.26”
62	24^{0}18’33.16”	74^{0}23’55.67”
63	24^{0}18’41.28”	74^{0}25’28.71”
64	24^{0}17’29.04”	74^{0}26’36.34”
65	24^{0}19’4.74”	74^{0}2726.57”
66	24^{0}18’25.94”	74^{0}291.22”
67	24^{0}20’22.46”	74^{0}2818.56”

<u>उपाबंध-IV</u>

सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सूची

क्र. सं	ग्रामों के नाम	तहसील	जिला	निर्देशांक	क्र. सं	ग्रामों के नाम	तहसील	जिला	निर्देशांक
1.	तलाइपाल	धरियावाद	प्रतापगढ़	24°8 26 19” 74°30’19.12”	2	नगलिया	धरियावाद	प्रतापगढ़	24°9’28.38” 75’ 30’ 01 13’
3.	साथपुर	धरियावाद	प्रतापगढ़	24°8‘20.80” 74°29’28.35”	4	छित्तोरिया	धरियावाद	प्रतापगढ़	24°8’ 19.17” 74°28’ 36.91
5.	दास का गुडा	धरियावाद	प्रतापगढ़	24°8’ 5.6” 74°25’ 0.45”	6	शिकारबरी पंचगुडा	भादेसर	प्रतापगढ़	24°08’01.04 74°28’72.51
7.	पंचागुडा	धरियावाद	प्रतापगढ़	24°8’ 30.32” 74°26’49.91”	8	आरामपुरा	धरियावाद	प्रतापगढ़	24°18’23.06” 74°26’38.16”
9.	मैदा	लसदिया	उदयपुर	24°15’72.78’ 74°25’78.03”	10	धार	लसदिया	उदयपुर	24°14’74.00 74°26’38.16
11.	तजेला	भादेसर	चित्तौड़गढ़	24°18’32.32” 74°24’17.74”	12	नवाघर	भादेसर	चित्तौड़गढ़	24° 18’20.92 74° 26’51.94
13.	खोखरिया	लसदिया	उदयपुर	24°17’40.36” 74°24 37.35”	14	कालाखेत	भादेसर	उदयपुर	24°18’20.92 74°26’15.18
15.	हरिपुरा	भादेसर	चित्तौड़गढ़	24°18’30.40 74°27’2.29”	16	श्यामपुरा	भादेसर	चित्तौड़गढ़	24°16’32.47 74°24’19.12
17.	लक्ष्मीपुरा	भादेसर	चित्तौड़गढ़	24°19’55.62 74°27’53.61	18	मतीमगरी	भादेसर	चित्तौड़गढ़	24°18’9.18” 25°26’04.57”
19.	संगरू का	भादेसर	चित्तौड़गढ़	24°18’26.92°	20	वागो का	भादेसर	चित्तौड़गढ़	24°18’45.64”

	फलान			74°28’53.37		फलान			74”28’45.87
21.	रूपराईल	भादेसर	चित्तौड़गढ़	24°18’45.64” 74°29’11.73”	22	रेलना	भादेसर	चित्तौड़गढ़	21°18’99.42” 74°29’49.81”
23.	तिकरिया का खेरा	भादेसर	चित्तौड़गढ़	24°20’51.92” 74°29’57.81”	24	संग्रामपुरा	भादेसर	चित्तौड़गढ़	24°21’42 56” 74°28’28 35”
25.	भछेरी	भादेसर	चित्तौड़गढ़	24°21’23.69” 74°29’36.69”	26	गुंदालपुर	भादेसर	चित्तौड़गढ़	24°21’57.97” 74°31’56.04”
27.	भछेरी	छोटीसदरी	प्रतापगढ़	24°20’86.02” 74°32’60.36”	28	कंकरा	छोटीसदरी	प्रतापगढ़	24° 19’12.82” 74° 32’25.68”
29.	करनपुर कलान	छोटीसदरी	प्रतापगढ़	24°21’29.39” 74°33’36.23”	30	भोजपुर	छोटीसदरी	प्रतापगढ़	26°19’12.82” 74°34’38.94”
31.	धनावेजी	छोटीसदरी	प्रतापगढ़	24°17’54.92” 74°35’19.81”	32	संमरीखेडा	छोटीसदरी	प्रतापगढ़	24°17’34.59” 74°35’30.22”
33.	नरेला फलान	छोटीसदरी	प्रतापगढ़	24°23’73.38” 74°36’56.02”	34	भूरा	छोटीसदरी	प्रतापगढ़	24°18’14.85” 74°37’20.91”
35.	बोतिया	छोटीसदरी	प्रतापगढ़	24°14’89.25” 74°38’86.03”	36	सरीपिपली	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	24°13’60.00” 74’37,0.01”
37.	रघुनाथपुरा	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	24°12’33.70” 74°37’57.92”	38	थिकि मगरी	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	24°12’56.83” 74°37’5.86”
39.	सुरपुर	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	24°09’48.92” 74°39’07.87”	40	नलवा	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	24°9’12.45” 74°39’27.39”
41.	राजमगरी	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	24°6’53.66” 74°38’19.84”	42	देवपुर	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	24°06’14.18” 74°38.04.73”
43.	ग्यासपुर	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	24°6’41.37” 74°37’14.40”	44	चंदना फलान	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	24°06,04.67” 74° 65”
45.	सदरी फलान	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	24”05’72,50” 74°36’30.29”	46	गोलिया फलान	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	24° 72” 74° 65”
47.	महरीखेडा	धरियावाद	प्रतापगढ़	24°4’ 1.62” 74°32’47.59”	48	भागा गांव	धरियावाद	प्रतापगढ़	24° 04 23.27” 74°34’83.55”
49.	घमेती फलान	धरियावाद	प्रतापगढ़	24°05’49.04” 74°31’63.73”	50	जेलदा	धरियावाद	प्रतापगढ़	24°05’ . 59” 74°32’25.68”
51.	कुमार फला	धरियावाद	प्रतापगढ़	24°05’57.30” 74°31’97.78”	52	भागरोटी का फलान	धरियावाद	प्रतापगढ़	24°06’83.03” 74°51’03.08”
53.	नाला	धरियावाद	प्रतापगढ़	24°04’9.87 74°31’48.77”	54	रेनिया	धरियावाद	प्रतापगढ़	24°06’56.71” 74°31’ 07.47”
55.	भुमिनिया	धरियावाद	प्रतापगढ़	24°6’8 52” 74°31’48.77”	56	मांदकलान	धरियावाद	प्रतापगढ़	24° 02.76” 74°
57.	करमाल	धरियावाद	प्रतापगढ़	21”07’28.89” 74°20’ 6.78”	58	श्रीगुडा	धरियावाद	प्रतापगढ़	24° 86.60” 74°30’63.53”

उपाबंध V

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए कार्यवाही किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2017

S.O.1191(E).–WHEREAS, a draft notification, declaring Eco-sensitive Zone around Sitamata Wildlife Sanctuary in Rajasthan, was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2871 (E), dated the 19th October 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 19th October 2015;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, the Sitamata Wildlife Sanctuary situated in the South-East region of the State of Rajasthan in Chittorgarh and Pratapgarh districts at the junction of the Aravalli hill range, Vindhyan hill range and the Malwa Plateau and lying between 74^0 23’ E– $74^0$40’ E longitude and 24^0 04’ N to $24^0$23’ N latitude and spread over an area of 422.94 sq.kms was notified as a sanctuary in the year 1979 vide Government of Rajasthan notification No. F 11 (9) Revenue/ Group-8/78 Jaipur, dated the 2nd January, 1979;

AND WHERAS, Sitamata Wildlife Sanctuary forms the north -west limit for the teak-bamboo mixed forest and the species associated with it is one of the richest Sanctuary of flora and fauna; nearly 50 species of reptiles, 9 species of Amphibians, 275 species of birds and 30 species of fishes listed so far from the said Sanctuary; Sitamata Wildlife Sanctuary is a habitat of 800 species of plants out of which 108 species of medicinal plants are already identified including 13 species of the endangered medicinal plants issued by the National Medicinal Plant Board, New-Delhi;

AND WHEREAS this protected area, with its comparatively less undulating terrain and three perennial (Jakham, Sitamata and Karmoi) rivers provide habitat for the tropical moist deciduous plant species, which form micro habitat for the Aravalli Red Spur Fowl, Grey Jungle Fowl, Flying Squirrel and several other species of flora and fauna and is unique as it forms the distribution limit for many of species that have moved from Himalayas, Indo-Malayan and African regions, in addition to the elements from Western Ghats;

AND WHEREAS, it is necessary to regulate certain activities detrimental to the conservation of flora and fauna in the Sitamata Wildlife Sanctuary from environmental point of view, by declaring the Eco-sensitive Zone around it.

NOW THEREFORE, in exercise of powers conferred in sub-section (1) read with clause (V) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extant of 0.5 to 3

kilometers around the boundary of the Sitamata Wildlife Sanctuary as Sitamata Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area 172.45 square kilometers around the boundary of Sitamata Wildlife Sanctuary and the boundary description of the said Zone is given in **Annexure-I**.

(2) The map of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-II.**

(3) The details of Geographical Positioning System coordinates of the points along the boundary of the Sitamata Wilidlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone are appended as **Annexure-III.**

(4) The Eco-sensitive Zone is spread across 58 villages falling in Chittorgarh, Pratapgarh and Udaipur districts of Rajasthan.

(5) The list of villages falling within Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for consideration and approval of the Competent authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and Eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring under the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-**

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of the local residents, and for the activities such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural springs.-** The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidlines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas as which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be allowed within one kilometers from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometers from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on Eco-tourism, Eco-education and Eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification in the official Gazette and such plan shall for part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 made under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rule made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(11) **Plastic Waste Management.-** The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 340 (E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management.-** The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 317 (E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Act and the rules and regulations made thereunder.

(14) **Industrial units.-** (i) No new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries may be allowed be established within Eco-sensitive Zone in accordance with the Central Pollution Control Board's categorisation.

(15) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction may be permitted.

(b) No construction on steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. **Prohibited, Regulated and Promoted Activities.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	**Activity**	**Remarks**
(1)	(2)	(3)
	Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) new mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for meeting the domestic needs of bona fide local

		residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Use, production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law.
8.	Fishing.	There shall be complete ban on fishing in all the water bodies including Jakham and Nagliya Dam and Sitamata and Jakham rivers.
9.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
10.	Purchase of Tendu Patta.	Purchase of Tendu Patta by contractors within 100 meters from the boundary of the Sanctuary shall be prohibited and no purchasing places (Fads) shall be earmarked at the time of auction of Tendu Patta units by the Forest Department.
11.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
12.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or up to the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
13.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometers from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and

		regulations, if any.
14.	Extraction of ground water	Regulated under applicable laws to meet the drinking water or agricultural requirement of locals.
15.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures	Regulated under applicable law (underground cabling may be promoted).
17.	Infrastructure including civic amenities	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
20.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
21.	Uses of plastic carry bags.	Regulated under applicable laws.
22.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
23.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated effluent shall be regulated as per applicable laws and efforts shall be made to recycle/re-use the treated effluent.
24.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
25.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment may be permitted.
26.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
27.	Air and Vehicular Pollution	Guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder shall be complied with.
28.	Noise pollution	Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 made under the Environment (Protection) Act, 1986.
29.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity shall be strictly monitored by the concerned authority.
30.	Solid Waste Management.	Management of solid waste shall be as per the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 made under Environment (Protection) Act, 1986.
31.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
32.	Undertaking activities related to eco-tourism like over-flying the protected area by aircraft, hot-air balloons.	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
33.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.

36.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
37.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
38.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.
39.	Agro forestry.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.
41.	Skill development.	Shall be actively promoted.
42.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

(i) District Collector, Pratapgarh - *Chairman;*

(ii) District level officer of Public Works Department - Member;

(iii) District level officer of Town Planning Department - Member;

(iv) District level officer of Industries Department - Member;

(v) Regional officer, Rajasthan State Pollution Control Board - Member;

(vi) An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Rajasthan for a period of three year. - Member;

(vii) A representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Rajasthan for a period of one year - Member;

(viii) Member of State Biodiversity Board- - Member;

(ix) Honorary wild life warden - Member;

(x) Deputy Conservator of Forests, Sitamata Wildlife Sanctuary - Member-Secretary

6. Terms of reference.- (1) The tenure of the Monitoring Committee shall be for three years.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are

falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collectors or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F.No.25/52/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DETAILS OF SITAMATA WILDLIFE SANCTUARY

Eco-sensitive Zone shall comprise of the area to an extant varying from 0.5 km to 3 km from the boundary of Sitamata Wildlife Sanctuary as follows:-

North: Area between the sanctuary and upto 1 km of village Tajela to Borundi. Area between sanctuary boundary from Ratichandji ka khera to Dhanaveji road.

East: Dhanaveji to Sangrikhera, Narela phala, Bhura-Jakham river- Jakham river- Saripipli-Raghunathpura- Sub merged area of Jakham dam- Surpur, Nalwa, Rajmagri, Depur, Goliya phala, Gyaspur.

South: Village Gyaspur-forest block Bheda, forest block Chiklad (Pratapgarh territorial division up to 3 km), Bhaga gaon, Gameti phala, Bhumania,to Karmal, Shriguda, Sathpur, Chittoriaa (long Canal side).

West: Dhariyawad Bansi road towards west village Panchaguda to village Dabela 3 kms (forest area of Pratatpgarh territorial division) and village Tajela 1 km from sanctuary boundary.

ANNEXURE-II

Map of Sitamata Wildlife Sanctuary along with Eco-Sensitive Zone

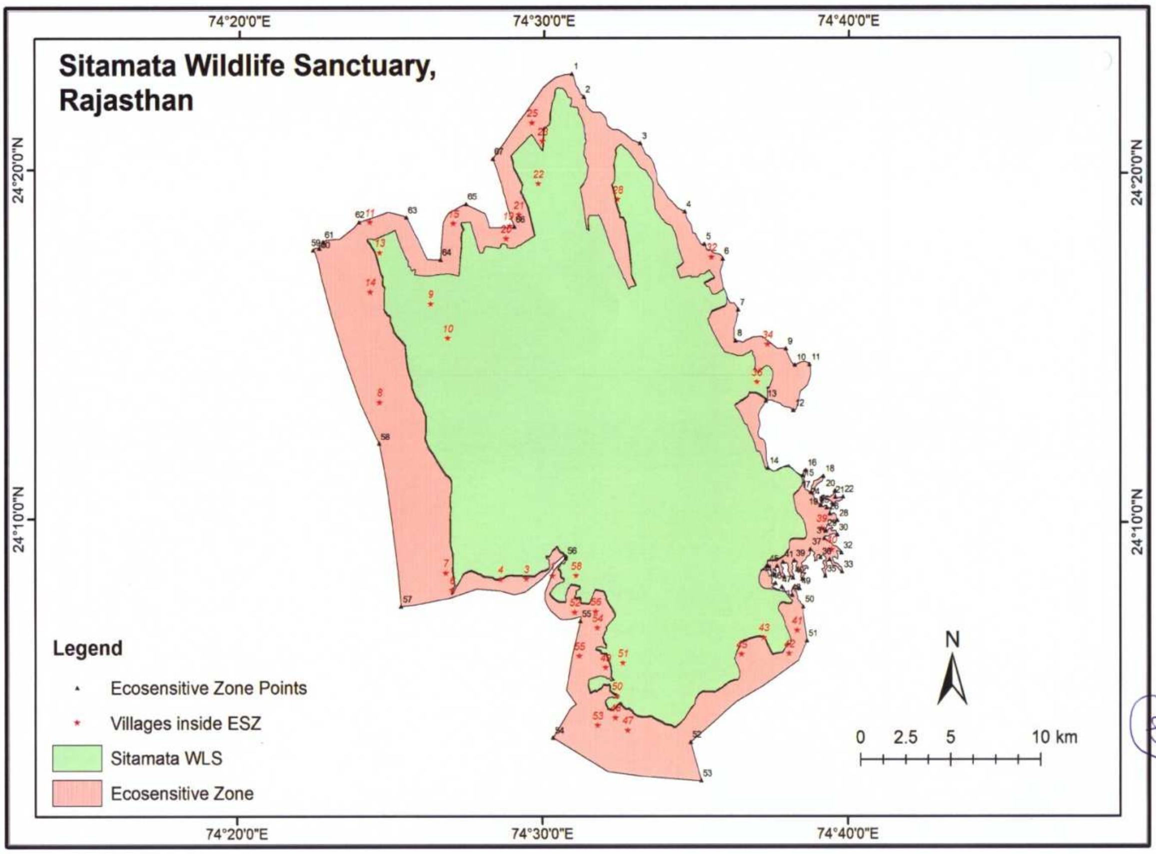

ANNEXURE-III

GEOGRAPHICAL POSITIONING SYSTEM COORDINATES OF POINTS ALONG THE BOUNDARY OF THE ECO-SENSITIVE ZONE OF SITAMATA WILDLIFE SANCTUARY

Point No.	Latitude (Degree, Min, Second)	Longitude (Degree, Min, Second)
1	24^{0}22’49.01”	74^{0}30’54.19”
2	24^{0}22’9.73”	74^{0}31’17.68”
3	24^{0}20’50.18”	74^{0}33’8.91”
4	24^{0}18’52.71”	74^{0}34’36.64”
5	24^{0}17’57.72”	74^{0}35’15.28”
6	24^{0}17’32.53”	74^{0}35’51.22”
7	24^{0}16’5.11”	74^{0}36’22.16”
8	24^{0}15’12.23”	74^{0}36’16.94”
9	24^{0}14’58.61”	74^{0}37’56.55”
10	24^{0}14’30.75”	74^{0}38’14.06”
11	24^{0}14’31.46”	74^{0}38’42.70”
12	24^{0}13’12.73”	74^{0}38’10.89”
13	24^{0}13’28.76”	74^{0}37’16.84”
14	24^{0}11’32.87”	74^{0}37’21.21”
15	24^{0}11’20.28”	74^{0}38’29.97’’
16	24^{0}11’29.23”	74^{0}38’35.58”
17	24^{0}10’51.89”	74^{0}38’46.06
18	24^{0}11’19.26”	74^{0}39’10.25”
19	24^{0}10’29.43”	74^{0}39’4.11”

20	24^{0}10’54.35”	74^{0}39’33.25”
21	24^{0}10’43.54”	74^{0}39’33.60”
22	24^{0}10’44.40”	74^{0}39’49.09”
23	24^{0}10’30.96”	74^{0}39’29.08”
24	24^{0}10’40.07”	74^{0}39’7.74”
25	24^{0}10’25.70”	74^{0}39’16.87”
26	24^{0}10’14.97”	74^{0}39’22.98”
28	24^{0}10’3.37”	74^{0}39’37.99”
29	24^{0}9’45.93”	74^{0}39’15.31”
30	24^{0}9’38.87”	74^{0}39’37.74”
31	24^{0}9’32.83”	74^{0}39’12.21”
32	24^{0}9’7.99”	74^{0}39’46.08”
33	24^{0}8’35.33”	74^{0}39’47.57”
34	24^{0}8’56.48”	74^{0}39’22.42”
35	24^{0}8’27.86”	74^{0}39’14.11”
36	24^{0}8’59.91”	7439’4.49”
37	24^{0}9’13.67”	74^{0}38’45.11”
38	24^{0}8’23.29”	74^{0}38’29.50”
39	24^{0}8’54.27”	74^{0}38’13.09”
40	24^{0}8’24.89”	74^{0}38’10.93”
41	24^{0}8’52.04”	74^{0}37’51.01”
42	24^{0}8’25.79”	74^{0}37’54.29”
43	24^{0}8’44.79”	74^{0}37’39.95”
44	24^{0}8’29.97”	74^{0}37’34.17”
45	24^{0}8’44.92”	74^{0}37’21.77”
46	24^{0}8’15.35”	74^{0}37’36.77”
47	24^{0}8’9.33”	74^{0}37’49.15”
48	24^{0}7’55.46”	74^{0}38’9.61”
49	24^{0}8’6.83”	74^{0}38’23.66”
50	24^{0}7’35.24”	74^{0}38’31.30”
51	24^{0}6’36.87”	74^{0}38’38.44”
52	24^{0}3’42.99”	74^{0}34’50.32
53	24^{0}2’36.78”	74^{0}35’11.26”
54	24^{0}3’49.23”	74^{0}30’20.30”
55	24^{0}7’9.13”	74^{0}31’13.05”
56	24^{0}8’56.89”	74^{0}30’43.96”
57	24^{0}7’33.05”	74^{0}25’20.89”
58	24^{0}12’12.50”	74^{0}24’36.34”
59	24^{0}17’44.69”	74^{0}22’25.84”
60	24^{0}17’47.91”	74^{0}22’37.88”
61	24^{0}17’58.63”	74^{0}22’45.26”
62	24^{0}18’33.16”	74^{0}23’55.67”
63	24^{0}18’41.28”	74^{0}25’28.71”
64	24^{0}17’29.04”	74^{0}26’36.34”
65	24^{0}19’4.74”	74^{0}2726.57”
66	24^{0}18’25.94”	74^{0}291.22”
67	24^{0}20’22.46”	74^{0}2818.56”

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES FALLING IN THE ECO-SENSITIVE ZONE OF SITAMATA WILDLIFE SANCTUARY

S. N.	Name of the village	Tehsil	District	Co-ordinates	S. N.	Name of the Village	Tehsil	District	Co-ordinates
1.	Talaipal	Dhariawad	Pratapgarh	24°8 26 19” 74°30’19.12”	2	Nagliya	Dhariawad	Pratapgarh	24°9’28.38” 75’ 30’ 01 13’
3.	Sathpur	Dhariawad	Pratapgarh	24°8‘20.80” 74°29’28.35”	4	Chittoria	Dhariawad	Pratapgarh	24°8’ 19.17” 74°28’ 36.91
5.	Das ka Guda	Dhariawad	Pratapgarh	24°8’ 5.6” 74°25’ 0.45”	6	Shikarbari Panchaguda	Bar Sadri	Pratapgarh	24°08’01.04 74°28’72.51
7.	Panchaguda	Dhariawad	Pratapgarh	24°8’ 30.32” 74°26’49.91”	8	Aarampara	Dhariawad	Pratapgarh	24°18’23.06” 74°26’38.16”
9.	Maida	Lasadia	Udaipur	24°15’72.78’ 74°25’78.03”	10	Dhar	Lasadia	Udaipur	24°14’74.00 74°26’38.16
11.	Tajela	Bari sadri	Chittorgarh	24°18’32.32” 74°24’17.74”	12	Nawaghar	Bari Sadri	chittorgarh	24° 18’20.92 74° 26’51.94
13.	Khokhria	Lasadia	Udaipur	24°17’40.36” 74°24 37.35”	14	Kalakhet	Bari Sadri	Udaipur	24°18’20.92 74°26’15.18
15.	Haripura	Bari sadri	Chittorgarh	24°18’30.40 74°27’2.29”	16	Shyampura	Bari sadri	Chittorgarh	24°16’32.47 74°24’19.12
17.	Laxmipur	Bari sadri	Chittorgarh	24°19’55.62 74°27’53.61	18	Mata magri	Bari sadri	Chittorgarh	24°18’9.18” 25°26’04.57”
19.	Sangro Ka falan	Bari sadri	Chittorgarh	24°18’26.92° 74°28’53.37	20	Wago ka falan	Bari sadri	Chittorgarh	24°18’45.64” 74”28’45.87
21.	Ruparnil	Bari sadri	Chittorgarh	24°18’45.64” 74°29’11.73”	22	Relna	Bari sadri	Chittorgarh	21°18’99.42” 74°29’49.81”
23.	Tikriya ka khera	Bari sadri	Chittorgarh	24°20’51.92” 74°29’57.81”	24	Sangrampura	Bari sadri	Chittorgarh	24°21’42 56” 74°28’28 35”
25.	Borundi	Bari sadri	Chittorgarh	24°21’23.69” 74°29’36.69”	26	Gundalpur	Bari sadri	Chittorgarh	24°21’57.97” 74°31’56.04”
27.	Bhacheri	Chotisadri	Pratapgarh	24°20’86.02” 74°32’60.36”	28	Kankra	Chotisadri	Pratapgarh	24° 19’12.82” 74° 32’25.68”
29.	Karanpur kalan	Chotisadri	Pratapgarh	24°21’29.39” 74°33’36.23”	30	Bhojpur	Chotisadri	Pratapgarh	26°19’12.82” 74°34’38.94”
31.	Dhanaverji	Chotisadri	Pratapgarh	24°17’54.92” 74°35’19.81”	32	Sangrikheda	Chotisadri	Pratapgarh	24°17’34.59” 74°35’30.22”
33.	Narela falan	Chottisadri	Pratapgarh	24°23’73.38” 74°36’56.02”	34	Bhura	Chotisadri	Pratapgarh	24°18’14.85” 74°37’20.91”
35.	Patiya	Chotisadri	Pratapgarh	24°14’89.25” 74°38’86.03”	36	Saripipli	Pratapgarh	Pratapgarh	24°13’60.00” 74’37,0.01”
37.	Ragunathpura	Pratapgarh	Pratapgarh	24°12’33.70” 74°37’57.92”	38	Thiki magri	Pratapgarh	Pratapgarh	24°12’56.83” 74°37’5.86”
39.	Surpur	Pratapgarh	Pratapgarh	24°09’48.92” 74°39’07.87”	40	Nalwa	Pratapgarh	Pratapgarh	24°9’12.45” 74°39’27.39”
41.	Rajmagri	Pratapgarh	Pratapgarh	24°6’53.66” 74°38’19.84”	42	Devpur	Pratapgarh	Pratapgarh	24°06’14.18” 74°38.04.73”
43.	Gyaspur	Pratapgarh	Pratapgarh	24°6’41.37” 74°37’14.40”	44	Chandna falan	Pratapgarh	Pratapgarh	24°06,04.67” 74° 65”
45.	Sadri falan	Pratapgarh	Pratapgarh	24”05’72,50” 74°36’30.29”	46	Goliya falan	Pratapgarh	Pratapgarh	24° 72” 74° 65”
47.	Mahurikheda	Dhariawad	Pratapgarh	24°4’ 1.62” 74°32’47.59”	48	Bhaga gao	Dhariawad	Pratapgarh	24° 04 23.27” 74°34’83.55”
49.	Ghametifalan	Dhariawad	Pratapgarh	24°05’49.04” 74°31’63.73”	50	Jelda	Dhariawad	Pratapgarh	24°05’ . 59” 74°32’25.68”
51.	Kumarfalan	Dhariawad	Pratapgarh	24°05’57.30” 74°31’97.78”	52	Bhagroti ka falan	Dhariawad	Pratapgarh	24°06’83.03” 74°51’03.08”
53.	Nala	Dhariawad	Pratapgarh	24°04’9.87 74°31’48.77”	54	Reniya	Dhariawad	Pratapgarh	24°06’56.71” 74°31’ 07.47”
55.	Bhumniya	Dhariawad	Pratapgarh	24°6’8 52” 74°31’48.77”	56	Mandkalan	Dhariawad	Pratapgarh	24° 02.76” 74°
57.	Karmal	Dhariawad	Pratapgarh	21”07’28.89” 74°20’ 6.78”	58	Shri guda	Dhariawad	Pratapgarh	24° 86.60” 74°30’63.53”

Annexure V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.

   Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.04.28 19:39:06 +05'30'